

**अनुदान संख्या 89 – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग**  
**GRANT No. 89 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	6589,78,00		
			6596,49,00	6481,29,42
पूरक	Supplementary	6,71,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			102,71,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	318,22,00		
			318,23,00	273,22,00
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			45,00,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹11519.58 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹671.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹11519.58 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹671.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	65447.00			
पू.	S.	3.00	59412.00	58308.21	-1103.79
पु.	R.	-6038.00			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	16076.00			
पू.	S.	151.00	18190.00	18139.39	-50.61
पु.	R.	1963.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	23956.00			
पु.	R.	-23956.00	..	..	..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	547439.00			
पू.	S.	517.00	567008.01	566982.37	-25.64
पु.	R.	19052.01			

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "3602" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature	
मू.	O.	1950.00
पु.	R.	-1397.01
		552.99
		552.99
		..

(I) ₹24706.00 लाख का प्रावधान इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹24063.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता" - ₹200.00 लाख - चंडीगढ़ और कार्यान्वयन एजेंसियों से नामांकन हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किन्नरों के लिए स्कीम" - ₹360.00 लाख - कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "समाज कल्याण - मद्यनिषेध" -

(i) "मद्यव्यसनिता और पदार्थ (औषधि) दुरुपयोग की रोकथाम" - ₹500.00 लाख;

(I) Provision of ₹24706.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty one heads; of these ₹24063.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan" - ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals for nomination from Chandigarh and the implementing agencies.

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Correctional Services - Scheme for Transgender Persons" - ₹360.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(C) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare - Prohibition" -

(i) "Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse" - ₹500.00 lakhs;

- (ii) “औषधि दुरुपयोग तथा पदार्थ दुरुपयोग के विस्तार, पद्धति तथा प्रवृत्तियों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण” – ₹153.00 लाख;
- (ख) “समाज कल्याण – सुधारात्मक सेवाएं – राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान” – ₹190.00 लाख;
- (ग) “समाज कल्याण – स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” – ₹500.00 लाख;
- (घ) “समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम – सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ” – ₹500.00 लाख;
- (ङ) “पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹400.00 लाख;
- (च) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (i) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा” – ₹770.00 लाख;
- (ii) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – आर्थिक विकास” – ₹2600.00 लाख;
- (iii) “अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम” – ₹7070.00 लाख; और
- (छ) “पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और विमुक्त घुमन्तु जनजातियों तथा अर्धघुमन्तु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम” – ₹10820.00 लाख।
- (ii) “National Survey to assess the extant, pattern and trends on Drugs Abuse and Substance Abuse - ₹153.00 lakhs;
- (b) “Social Welfare - Correctional Services- National Institute of Social Defence- ₹190.00 lakhs;
- (c) “Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged- ₹500.00 lakhs;
- (d) “Social Welfare - Other Programmes - Information and Mass Education Cell- ₹500.00 lakhs;
- (e) “Welfare of Backward Classes - Education- National Fellowship for OBCs & EBCs - ₹400.00 lakhs;
- (f) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (i) “Welfare of Scheduled Castes- Education”- ₹770.00 lakhs;
- (ii) “Welfare of Scheduled Castes- Economic Development” - ₹2600.00 lakhs;
- (iii) “Scheme for Development of Scheduled Castes” - ₹7070.00 lakhs; and
- (g) “Welfare of Backward Classes - Education - Scheme for Development of Other Backward Classes and Denotified Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes”- ₹10820.00 lakhs.

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण”

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

- (i) “पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹954.03 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।
- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त कोचिंग” – ₹465.73 लाख की बचत (₹2450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुफ्त कोचिंग में आने वाले छात्रों की संख्या कम होने के कारण हुई।
- (iii) “अनुसूचित जातियों तथा अन्य वर्गों के छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति” – ₹1011.21 लाख की बचत (₹1470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।
- (iv) “महिला छात्रावास” – ₹2569.36 लाख की बचत (₹0.35 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5000.35 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2225” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Welfare of Scheduled Castes” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (i) “Post Matric Scholarships”- saving of ₹954.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.
- (ii) “Free Coaching for SCs”- saving of ₹465.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2450.00 lakhs) was due to joining of less number of students for Free Coaching.
- (iii) “Scholarship to Students of Scheduled Castes and other Categories for Studies Abroad” - saving of ₹1011.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1470.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards scholarship to the students studying abroad.
- (iv) “Girls Hostel” - saving of ₹2569.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5000.35 lakhs including token supplementary grant of ₹0.35 lakh) was due to requirement of less funds towards constuction of girls hostels.

(v) “अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति” – ₹1859.07 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति/वृत्तिका के लिए दिशानिर्देशों के पुनरीक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(v) “Pre Matric Scholarship for SCs”- saving of ₹1859.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Pre-Matric Scholarship/stipend owing to revision of guidelines.

(ख) “पिछड़े वर्गों का कल्याण” –

(b) “Welfare of Backward Classes”-

(i) “शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹1600.15 लाख की बचत (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3600.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्येतावृत्ति के लिए प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति के कारण हुई।

(i) “Education - National Fellowship for OBCs & EBCs”- saving of ₹1600.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3600.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh) was due to receipt of less proposals towards fellowships.

(ii) “निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” – ₹250.00 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) “Direction and Administration- National Commission for Backward Classes” - saving of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ग) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग” – ₹251.09 लाख की बचत (₹1820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(c) “General - Direction and Administration- National Commission for Scheduled Castes”- saving of ₹251.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1820.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards office related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(का) “सुधारात्मक सेवाएं – भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम” – ₹260.00 लाख की बचत (₹360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) “Correctional Services - Integrated Programme for Rehabilitation of beggars” - saving of ₹260.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹360.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(खा) “अन्य कार्यक्रम – अनुसंधान अध्ययन तथा अनुसंधान प्रकाशनों को सहायता अनुदान” – ₹539.64 लाख की बचत (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान कार्यक्रमलाप और प्रकाशन कम होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम” – ₹1150.00 लाख की बचत (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्तियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा छात्रावासों का निर्माण किए जाने के कारण हुई।

(खा) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – अन्य कमजोर समूहों (अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग जनों सहित) के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम” – ₹247.01 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से छात्रवृत्तियों के लिए अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹148.30 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5322.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जो निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹15300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2225” – “पिछड़े वर्गों का कल्याण” –

(B) “Other Programmes- Grants-in-aid for Research Studies and Research Publications” - saving of ₹539.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was due to less reasearch activities and publications.

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - saving of ₹1150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals towards scholarships and construction of hostels from Union Territory Administrations.

(B) “Central Assistance/Share -Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)” - saving of ₹247.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals towards scholarships from Union Territory Administrations.

(V) Under two heads savings of ₹148.30 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 23 percent and 90 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹5322.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹15300.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2225”- “Welfare of Backward Classes” -

- (क) “शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति” – ₹1600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1599.70 लाख था।
- (ख) “अन्य व्यय – पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” – ₹600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹599.80 लाख था।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण” –
- (क) “मद्य निषेध – मद्य निषेध के लिए शिक्षण कार्य” – ₹1647.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1646.34 लाख था।
- (ख) “सुधारात्मक सेवाएं – राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान” – ₹232.00 लाख।
- (ग) “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” – ₹348.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹346.36 लाख था।
- (घ) “अन्य कार्यक्रम – सूचना तथा जनशिक्षा प्रकोष्ठ” – ₹895.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹847.33 लाख था।
- (a) “Education - National Overseas Scholarship for OBCs”- ₹1600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1599.70 lakhs.
- (b) “Other Expenditure - Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes” - ₹600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹599.80 lakhs.
- (B) Major Head “2235”- “Social Welfare” -
- (a) “Prohibition - Education work for Prohibition” - ₹1647.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1646.34 lakhs.
- (b) “Correctional Services - National Institute of Social Defence” - ₹232.00 lakhs.
- (c) “Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for programmes relating to Aged” - ₹348.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹346.36 lakhs.
- (d) “Other Programmes- Information and Mass Education Cell”- ₹895.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹847.33 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जातियों का कल्याण- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” – ₹140.00 लाख का अधिक व्यय (₹6860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें”-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes”- excess of ₹140.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6860.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Schemes”-

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना— अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम” – ₹14484.54 लाख का अधिक व्यय (₹517.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹452226.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – अन्य कमजोर समूहों के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम (पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांग जनों सहित)” – ₹4541.83 लाख का अधिक व्यय (₹95730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - excess of ₹14484.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹452226.00 lakhs including supplementary grant of ₹517.00 lakhs); and

(b) “Central Assistance/Share - Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)” - excess of ₹4541.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95730.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छात्रवृत्तियों, छात्रावासों के निर्माण, पीसीआर अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के लिए तंत्र के सुदृकीरण के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to receipt of more proposals towards scholarships, construction of hostels, strengthening of machinery of enforcement of PCR Act 1955 and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

3 In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष “4225”	Major Head “4225”			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	30465.00		
पू.	S.	1.00	27323.00	27322.00
पु.	R.	-3143.00		-1.00

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"	
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas	
मू.	O.	1357.00
पु.	R.	-1357.00

(I) ₹1357.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(का) "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम" – ₹1000.00 लाख; और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" – ₹357.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4225" – "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम" – ₹4243.00 लाख की बचत (₹17564.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी

(I) Provision of ₹1357.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" - under the following heads:-

(A) "General (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - ₹1000.00 lakhs; and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Capital Outlay on welfare of SCs - Investment in Public Sector and Other undertakings" - ₹357.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - saving of ₹4243.00 lakhs (against the sanctioned provision of

आयोग के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को आंशिक रूप से (₹1100.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “4225” – “अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को उद्यम पूंजीगत निधि” के अंतर्गत मार्च, 2018 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1099.00 लाख था।

₹17564.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for National Commission for Safai Karamcharies by Expenditure Finance Committee.

4. The above savings were partly (₹1100.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2018 under Major Head “4225” - “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India”. Actual excess, however, was ₹1099.00 lakhs.

---